रुचि की अभिव्यक्ति

***कृषि खाद्य का संगठित खुदरा व्यापार और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन* पर अध्ययन.**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 'कृषि खाद्य का संगठित खुदरा व्यापार और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन' विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों से *रुचि की अभिव्यक्ति* आमंत्रित करता है. यह अध्ययन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा जिसमें विभिन्न राज्यों, और फलों तथा सब्जियों सहित सभी प्रमुख कृषि जिन्स शामिल किए जाएँगे. अध्ययन हेतु लिए जाने वाले नमूने मूल्य शृंखला के विभिन्न रूपों और संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए ताकि जमीनी वास्तविकताएँ सामने आ सकें. इस अध्ययन में इस विषय पर उपलब्ध साहित्य के शोध के साथ-साथ फील्ड वर्क भी करना होगा.

संदर्भित विषय

इस अध्ययन में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा :

1. देश में कृषि खाद्य वस्तुओं की संगठित खुदरा बिक्री की स्थिति, कार्पोरेट निवेश का स्तर और अगले दस वर्षों में आगे विस्तार के अवसर और संभावनाएँ.
2. सरकारी तथा निजी - दोनों क्षेत्रों में वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही बुनियादी सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के आकलन के साथ-साथ भविष्य में इनकी जरूरतों का आकलन.

3. संगठित क्षेत्र में विभिन्न कृषि जिन्सों, फलों और सब्जियों की आपूर्ति हेतु उनका स्रोत सुनिश्चित करने की प्रणाली का अध्ययन, और साथ ही इस प्रणाली में लागत और मार्जिन की स्थिति. अध्ययन में खुदरा बिक्री के विभिन्न प्रचलित रूपों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता और खुदरा बिक्रेता के बीच संविदा की शर्तों को भी सामने लाया जाएगा और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि संविदा की अवहेलना की स्थिति में सुरक्षा के कौन से उपाय उपलब्ध हैं.

4. संगठित खुदरा बिक्री के क्षेत्र में ऋण की वर्तमान माँग का आकलन, ऋण की आपूर्ति के स्रोत और विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत में ऋण की माँग और आपूर्ति के बीच अंतराल की अलग-अलग स्थिति. विभिन्न प्रचलित वित्तीय उत्पादों की अलग-अलग पहचान और संगठित खुदरा बिक्री क्षेत्र में उनका हिस्सा. ऋण की उभरती हुई जरूरतों, संस्थागत ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं और नए वित्तीय उत्पाद शुरू करने / विकसित करने की संभावनाओं का आकलन.

5. खुदरा बिक्री की शृंखला में निहित विभिन्न प्रकार के जोखिमों (खरीद जोखिम, कीमत जोखिम, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम आदि) की पहचान करना और इन जोखिमों के निवारण के लिए अपनाए जाने वाले तरीके.

6. अध्ययन के अंतर्गत लाभ के वितरण और रोजगार सृजन सहित आधुनिक खुदरा बिक्री शृंखला के प्रभाव का गहन आर्थिक विश्लेषण किया जाएगा.

7. अध्ययन के अंतर्गत सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर इस क्षेत्र का स्वोट (मजबूती, कमजोरी, अवसर, चुनौती) विश्लेषण भी किया जाएगा.

अध्ययन की अवधि

अध्ययन की अवधि, अध्ययन शुरू करने की तारीख से छह माह की होगी.

प्रस्ताव की अपेक्षाएँ

इच्छुक संगठन अपने प्रस्ताव नाबार्ड को दो अलग-अलग लिफाफों में भेजें जिन पर क्रमशः 'तकनीकी प्रस्ताव' और 'वित्तीय प्रस्ताव ' लिखा होगा.

(अ) तकनीकी प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज होंगेः

क) संगठन का प्रोफाइल.

ख) व्यापार क्षमता निर्माण, संस्थागत आवश्यकता विश्लेषण, परियोजना अभिकल्प प्रलेखीकरण और अध्ययन से जुड़े अन्य सार्थक विषयों के संबंध में सर्वेक्षण व अन्य कार्यों के क्षेत्र में संगठन के अनुभवों का विवरण.

ग) संभावित अनुसंधान दल का प्रोफाइल

घ) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अध्ययन को पूरा करने में आवेदक स्वयं को कैसे सक्षम महसूस करता है - इस विषय पर एक संक्षिप्त नोट.

ङ) अध्ययन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संदर्भित विषयों मे से प्रत्येक का अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा. इसके अलावा प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें भी होनी चाहिए ः

(i) सूचना के अन्वेषण /सूचना के स्रोत तक पहुँच / अनुभवजन्य आँकड़ों को एकत्र करने की पद्धति;

(ii) सर्वे की प्रश्नावली का प्रारूप और सर्वे के लिए प्रस्तावित इकाइयों / निकायों के नमूनों की निदर्शी सूची ;

(iii) अध्ययन की संरचना;

(V) विश्लेषण के साधन और उनके उपयोग का प्रस्तवित तरीका ; और

(V) अध्ययन को समय पर पूरा करने के लिए एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समय- अनुसूची.

आ. वित्तीय प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी.

मद-वार बजट

प्रस्तावों की जाँच

प्रस्तावों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में तकनीकी प्रस्ताव और दूसरे चरण में वित्तीय प्रस्ताव की जाँच की जाएगी. केवल उन्हीं एजेंसियों के वित्तीय प्रस्तावों को एजेंसियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जिनके तकनीकी प्रस्तावों को जाँच के दौरान चुना जाएगा.

अन्य शर्तें

(क) जो एजेंसियाँ *रुचि की अभिव्यक्ति* प्रेषित करेंगी उनसे चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण करने को कहा जा सकता है.

(ख) यात्रा, ठहराव, स्थानीय आवागमन आदि का खर्च एजेंसी को ही वहन करना होगा.

(ग) अत्यंत महत्वपूर्ण कारण को छोड़कर किसी भी स्थिति में अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(घ) अध्ययन पर नाबार्ड का सर्वाधिकार होगा.

(ङ) चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी एजेंसियों के लिए बाध्यकारी होगा.

(च) नाबार्ड को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए सभी प्रस्तावों को खारिज कर दे.

रुचि की अभिव्यक्ति दो अलग मुहरबंद लिफाफों में मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड, चौथी मंजिल, प्लॉट सं.सी-24, 'जी' ब्लाक, बांद्रा कुर्ला संकुल, पोस्ट बॉक्स सं.8121, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 को प्रेषित करें. लिफाफों पर बड़े अक्षरों में क्रमशः 'संगठित कृषि खाद्य का खुदरा व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विषय पर अध्ययन' और 'वित्तीय प्रस्ताव' लिखा होना चाहिए.

***रुचि की अभिव्यक्ति* अधिक से अधिक 23 जनवरी 2009 तक नाबार्ड को प्राप्त हो जानी चाहिए.**